संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग. रायपुर

विभागाध्यक्ष कार्यालय इन्द्रावती भवन, द्वितीय खण्ड, चौथी मंजिल, नया रायपुर (छ.ग.)

☎ 0771-2433001 🖷 0771-2433002

Website: cghorticulture.gov.in E-mail: dir.horti.cg@nic.in

क. / उद्या. / स्था. / सी.भर्ती / 2015–16 / 3876. रायपुर, दिनांक 05/08/2015.

66

/ / सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन / /

छ.ग. शासन कृषि विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क. एफ 3–5 / 2013 / 14–1 दिनांक 03.07.15 द्वारा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छ.ग. रायपुर में **ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी** के राज्य स्तरीय 150 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की प्राप्त अनुमति के परिपेक्ष्य में छ.ग. उद्यानिकी अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2012 के अनुसार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु पात्र अभ्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर के बेबसाईट cgvyapam.choice.gov.in पर 18.08.2015 से आमंत्रित किये जाते है।

1. **परीक्षा तिथि एवं समय – 27.09.2015, (रविवार), अपरान्ह 2.00 से 5.15 तक**
2. **ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि – 18.08.2015**
3. **ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि – 29.08.2015, रात्रि 11.59 तक**
4. **ऑनलाइन आवेदन कर ऑफलाइन पेमेंट हेतु SBI Bank के चालान प्राप्त करने की अंतिम तिथि – 31.08.2015, सायं 5.00 तक**
5. **ऑफलाइन (SBI Bank के चालान द्वारा) पेमेन्ट की अंतिम तिथि – 01.09.2015 बैंक के कार्यालयीन समय तक**
6. **परीक्षा शहर एवं कोड–अम्बिकापुर (11), बिलासपुर (13), दुर्ग (16), जगदलपुर (17), रायपुर (25)**
7. **परीक्षा शुल्क – सामान्य वर्ग – 450 / –**
   अन्य पिछड़ा वर्ग – 350 / –
   अनुसूचित जाति / जनजाति / निःशक्तजन – 300 / –

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क.	पदनाम	वेतन + ग्रेड पे	कुल रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.वर्ग	शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	5200–20200 + 2400	**150**	63	48	18	21	उद्यानिकी / कृषि / कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि।

आरक्षण तालिका :–

क्र.	वर्ग	मुक्त	महिला	निःशक्त जन	भू.पू. सैनिक	कुल
1	अनारक्षित	34	19	4	6	**63**
2	अनु.ज.जा.	26	14	3	5	**48**
2	अनु.जा.	10	5	1	2	**18**
3	अ.पि.वर्ग	11	7	1	2	**21**
	कुल	**81**	**45**	**9**	**15**	**150**

5/8/15 (R.K. Singh) DDH

यह नियुक्तियॉ मान. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलसापुर के रिट पिटि. क्र. (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में मान. न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होंगी।

छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा समय–समय पर शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना अनुसार शिथिलनीय होगी।

व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करनें तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।

त्रुटि सुधार के लिए हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी में भेजा गया कोई भी आवेदन व्यापम द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा । आवेदन पत्र एवं ओ.एम.आर. उत्तरशीट की प्रविष्टियों में अंतर पाये जाने पर उत्तरशीट की प्रविष्टियों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा । परीक्षा के दिन उत्तरशीट में **(Answer Sheet)** में श्रेणी **(Category),** वर्ग **(Class),** जन्म् तिथि **(Date Of Birth)** आदि में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किये जायेगें । परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार संबंधी कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

आवेदन पत्र भरने से पहले आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सेम्पल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करें ।

नियम एवं शर्ते :–

1. पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है।
2. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, पुष्टि हेतु चयनित उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा 200 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी
4. उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण–पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य होगा।
6. **आयु सीमा** :– अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2015 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत् निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :–

I. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

II. ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

III. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी।

IV. विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

V. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

VI. राज्य (छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

VII. विकलांग आवेदकों को उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी, बशर्ते विकलांगता 50 प्रतिशत से अधिक हो, राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा।

VIII. छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/ मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु 38 वर्ष होगी।

IX. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–3–2/2002/1–3 दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

7. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, एवं कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
8. छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबन्ध) नियम 1997 के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित रखें जायेंगे।
9. चयन हेतु अभ्यार्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार विभागाध्यक्ष का होगा एवं पदस्थापना तत्समय रिक्त पदों के आधार पर की जावेगी पदस्थापना के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
10. चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. चयनित उम्मीदवारों को पुलिस व्हीरेफिकेशन करने एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेश प्रमाण–पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जावेगा।
12. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है अतएव नियुक्ति की निर्धारित शर्तो का पालन नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्षो की परिवीक्षावधि पर की जावेगी।
13. लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए पृथक से कोई यात्रा व्यय नहीं दिया जायेगा।

पाठ्यक्रम :– पाठ्यक्रम एवं अन्य विवरण व्यापम की बेबसाइट **cgvyapam.choice.gov.in** पर उपलब्ध होगा।

5/8/15 (R.K.SINGH) JDH

for संचालक उद्यानिकी
5-8-15
रायपुर (छ.ग.)